संख्या- 32/2023/848 /53-2-2023-13(बजट)/17टी.सी.(ए)

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन |

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 01 सितम्बर, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत पी0सी0डी0एफ0लि0 हेतु डेयरी परियोजनाओं एवं कर्मचारियों के वेतन मद में ऋण के रूप में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष दी गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित शासनादेशों में अतिरिक्त शर्तों के समावेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत पी0सी0डी0एफ0लि0 हेतु डेयरी परियोजनाओं एवं कर्मचारियों के वेतन मद में ऋण के रूप में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष दी गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में निर्गत निम्नलिखित शासनादेशों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

क्र0	वित्तीय वर्ष	शासनादेश संख्या	दिनांक	धनराशि
1	2	3	4	5
1	2022-23	8/2022/83/004-53-2002-099-1-2022	08.02.2023	रू0 14,24,50,000/-
2	2022-23	27/2022/681/003-53-2002-099-1-2022	24.08.2022	रू0 19,95,50,000/-
3	2022-23	12/2023/225/005-53-2002-099-1-2022	15.03.2023	रू0 14,24,50,000/-
4	2022-23	13/2023/185/003-53-2099-940-2019-2(48)/2014	17.03.2023	रू0 5,00,00,000/-
5	2022-23	16/2023/251/006-53-2002-099-1-2022	30.03.2023	रू0 31,37,50,000/-
6	2023-24	21/2023/400/001-53-2099-940-2099-2(48)/2014	01.06.2023	रू0 10,000,0000/-

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्गत शासनादेशों में अंकित नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों के अतिरिक्त अनन्तिम रूप से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-4-857/दस-2016-6/1965, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के अनुसार निम्नलिखित नियमों, शर्तो/ प्रतिबन्धों का समावेश किया जाता है:-

1. स्वीकृत ऋण की अदायगी की अवधि 10 वर्ष होगी।
2. स्वीकृत ऋण पर ब्याज दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक होगी।
3. ब्याज की उक्त दर प्रभावी ब्याज दर है। इस दर में 2.50 जोड़कर ब्याज दर 14.00 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की जायगी परन्तु मूलधन तथा ब्याज की नियमित अदायगी होने पर ब्याज की दर 11.50 प्रतिशत वार्षिक रहेगी। मूलधन/ब्याज की अदायगी में विलम्ब की दशा में विलम्ब की अवधि के लिए 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूला जायेगा।
4. मूलधन की वापसी 10 समान वार्षिक किश्तों में की जायेगी। मूलधन अदायगी की तिथि ऋण आहरण की वर्षगांठ तिथि होगी। मूलधन की वसूली पूर्ण हो जाने पर ब्याज की अदायगी तुरन्त आरम्भ की जायेगी। ब्याज अदायगी की तिथि भी ऋण आहरण की वर्षगांठ तिथि होगी।
5. वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए संशोधित ब्याज दर एवं अन्य शर्ते निर्धारित होने पर अनन्तिम रूप से निर्धारित उपरोक्त शर्तो को संशोधित शर्तो से प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त प्रस्तर-1 की तालिका मे उल्लिखित समस्त शासनादेशों में स्वीकृत ब्याज की दर, ऋण अदायगी की अवधि एवं किश्तों की संख्या आदि का निर्धारण उपर्युक्त् प्रस्तर-2 में अंकित शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 32/2023/848(1) /53-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0शासन।
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
12- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
13- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।